

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 के दीवानी विविध क्षेत्राधिकार वाद सं. 738

=====

1. अनिल कुमार पांडे, पुत्र- राम बच्चन, निवासी ग्राम-सोनबरसा मदनी, थाना-शिवसागर, जिला-रोहतास।
2. अरविंद कुमार पांडे, पुत्र -गौरी शंकर पांडे, निवासी, गाँव-सोनवर्षा मदनी, पुलिस थाना - शिवसागर, जिला-रोहतास।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. धनंजय पांडे, पुत्र- स्वर्गीय ज्वाला पांडे, निवासी गाँव-नारायणपुर, पुलिस थाना - सोनहान, जिला-कैमूर, भभुआ, वर्तमान में निवासी गाँव-सोनबरसा मदनी, पुलिस थाना, जिला-रोहतास।
2. चंद्रभूषण पांडे, पुत्र- स्वर्गीय ज्वाला पांडे, निवासी, गाँव-नारायणपुर, पुलिस थाना - सोनहान, भभुआवर्तमान में जिला-कैमूर, वर्तमान में निवासी, गाँव- सोनबरसा मदनी, पुलिस थाना -शिवसागर, जिला-रोहतास।
3. रविशंकर पांडे, पुत्र स्वर्गीय ज्वाला पांडे , निवासी, गाँव-नारायणपुर, पोस्ट आफिस - सोनहान, भभुआ में जिला-कैमूर, वर्तमान में निवासी, गाँव-सोनबरसा मदनी, पुलिस थाना -शिवसागर , जिला-रोहतास।
4. अरविंद कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय ज्वाला पांडे, निवासी गाँव-नारायणपुर, पुलिस थाना - सोनहान, जिला-कैमूर, भभुआ में, वर्तमान में निवासी गाँव-सोनबरसा मदनी, पुलिस थाना -शिवसागर, जिला-रोहतास।

..... उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री आशुतोष त्रिपाठी, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री रविशंकर सहाय, अधिवक्ता
 श्री राकेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

- सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 222, 276, 278

संदर्भित मामले:

- मुसम्मत फेकनी बनाम मुसम्मत मानकी, एआईआर 1930 पैट 618 में रिपोर्ट किया गया
- बिहारी लाल महर्तों टेटक गयावाल बनाम गंगा दाई टटकैन एवं अन्य, एआईआर 1917 पटना 209 में रिपोर्ट किया गया
- राकेश बिहारी शरण बनाम अलका शरण, रिपोर्ट 2017 (3) पीएलजेआर 951
- संजय त्रिबेदी @ मुन्ना त्रिबेदी बनाम। कांति देवी एवं अन्य ने 2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 8327 में रिपोर्ट किया

याचिका - उस आदेश को रद्द कराने हेतु दायर की गई जिसमें अपर जिला न्यायाधीश ने प्रतिस्थापन याचिका को स्वीकार किया था।

एक व्यक्ति ने अविवेचित वसीयत के आधार पर मृतक की संपत्ति के लिए प्रोबेट/प्रशासन पत्र जारी करने हेतु प्रोबेट केस दायर किया। याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होकर आपत्तियाँ दर्ज कीं और विचारण न्यायालय ने प्रोबेट केस को टाइटल सूट (विवादित वाद) में परिवर्तित कर दिया। प्रोबेट केस की प्रक्रिया के दौरान मूल प्रोबेट

याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई और वह निःसंतान था। इसके पश्चात उत्तरदाताओं ने प्रतिस्थापन याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

प्रोबेट केवल उसी निष्पादक को प्रदान किया जा सकता है जिसे वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया हो। अतः प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार केवल निष्पादक तक सीमित होता है और यह किसी भी स्थिति में निष्पादक के उत्तराधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। (पैरा 9)

निष्पादक की मृत्यु के पश्चात वसीयतनामा वाद में प्रतिस्थापन हेतु याचिका दायर करना वैध नहीं है और निष्पादक की मृत्यु के साथ ही प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। (पैरा 10)

विचारण न्यायालय ने प्रतिस्थापन को अनुमति देने से पहले उत्तरदाताओं को प्रोबेट याचिका में संशोधन कर प्रशासन पत्र प्राप्त करने हेतु राहत माँगने की अनुमति दी। इस चरण पर कोर्ट की पहल पर संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक प्रतिस्थापन को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कोई याचिकाकर्ता नहीं होता जो प्रशासन पत्र प्राप्त करने हेतु संशोधन कर सके। यदि उत्तरदाता पहले से ही अभिलेख में होते, तब वे प्रोबेट याचिका में संशोधन कर प्रशासन पत्र की राहत माँग सकते थे। (पैरा 13)

विवादित आदेश को निरस्त किया गया तथा मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता के स्थान पर उनके प्रतिस्थापन के लिए उत्तरवादियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया गया। हालांकि, इस तरह के आवेदन को खारिज करने से उत्तरवादियों को अपनी शिकायत के निवारण के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 का सहारा लेने में कोई बाधा नहीं होगी (पैरा 14)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 15)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

तारीख : 03-04-2025

यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा सासाराम के विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-IV, रोहतास द्वारा प्रोबेट केस संख्या 88/1999 (स्वत्व वाद संख्या 02/2002) में पारित दिनांक 18.07.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने उत्तरवादियों की ओर से दायर प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दी थी।

02. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विश्वनाथ पांडे ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वर्गीय देवरी देवी की संपत्ति के प्रोबेट/प्रशासन के पत्र प्रदान करने के लिए केस नंबर 88/1999 के तहत प्रोबेट केस दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं और विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रोबेट केस को टाइटल सूट नंबर 02/2002 में परिवर्तित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोबेट केस के लंबित रहने के दौरान मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता की 12.09.2020 को निःसंतान मृत्यु हो गई और उसके बाद उत्तरवादियों ने मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता विश्वनाथ पांडे के स्थान पर अपना नाम प्रतिस्थापित करने के लिए दिनांक 03.11.2020 को प्रतिस्थापन याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया और उत्तरवादियों के प्रतिस्थापन का विरोध किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.07.2022 के आदेश के तहत उत्तरवादियों को प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए राहत मांगने का निर्देश दिया और तदनुसार प्रोबेट याचिका में

संशोधन किया और इस तरह मृतक विश्वनाथ पांडे के स्थान पर उत्तरवादियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी।

03. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विवादित आदेश अवैध है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक जगन्नाथ पांडे की बेटी थी, जिसका नाम देवरती देवी था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति विरासत में मिली क्योंकि जगन्नाथ पांडे की पत्नी उनकी मृत्यु से पहले ही मर चुकी थी। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमशः 21.06.1999 और 24.08.1999 की दो अलग-अलग वसीयतों के आधार पर देवरती देवी की संपत्ति का दावा किया। दिनांक 21.06.1999 की वसीयत स्वर्गीय विश्वनाथ पांडे के पक्ष में निष्पादित एक अपंजीकृत वसीयत थी और याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि देवरती देवी ने कभी भी विश्वनाथ पांडे के पक्ष में कोई अपंजीकृत वसीयत निष्पादित नहीं की। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि देवरती देवी ने 24.08.1999 दिनांकित एक पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया। विश्वनाथ पांडे की मृत्यु के बाद, प्रत्यर्थियों ने खुद को प्रोबेट याचिकाकर्ता-विश्वनाथ पांडे का भतीजा होने का दावा करते हुए प्रतिस्थापन याचिका दायर की और दावा किया कि मृतक विश्वनाथ पांडे का कोई प्रथम श्रेणी का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सामग्री को देखे बिना, प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दी और प्रत्यर्थियों को प्रतिस्थापन याचिका में उनकी ओर से कोई अनुरोध किए बिना प्रशासन के पत्रों की मांग करने वाली याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी। विद्वान वकील ने आगे समर्पित किया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने इस समय इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रोबेट मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 की कोई प्रयोज्यता नहीं है और यदि वसीयतकर्ता वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वसीयतकर्ता का कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। विद्वान वकील ने आगे

दलील दी कि मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता विश्वनाथ पांडे के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई प्रोबेट नहीं दिया जा सकता, जो वसीयत के तहत एकमात्र निष्पादक थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रोबेट कार्यवाही में निष्पादक या वसीयतदार के प्रतिस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, विवादित आदेश अवैध है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

04. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं है और यह न्यायसंगत और उचित है। विद्वान अधिवक्ता ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि इन दो वसीयतों के आधार पर दो वसीयत और दो प्रोबेट कार्यवाही शुरू की जा रही हैं, 2002 का स्वत्व मुकदमा संख्या 02 और 2003 का स्वत्व मुकदमा संख्या 1। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थियों की प्रोबेट कार्यवाही में, प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों में से किसी एक का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहले से ही अनुरोध था और यदि मूल वसीयतदार विश्वनाथ पांडे की मृत्यु के बाद प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए अनुरोध पहले से ही था, जिनके पास कोई समस्या नहीं थी और वर्तमान उत्तरवादी उनके पूरे भाई के बेटे हैं और वे मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता के स्थान पर अपने प्रतिस्थापन के लिए याचिका दायर करने के अपने अधिकार के भीतर हैं। इसलिए, आक्षेपित क्रम 18.07.2022 में कुछ भी गलत नहीं है और इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

05. मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

06. वर्तमान मामले में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या उत्तरवादी को मृत-प्रोबेट याचिकाकर्ता-विश्वनाथ पांडे के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं?

07. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 222 निम्नानुसार प्रदान करती है:

“222. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक को दिया जाएगा- (1) प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को ही दिया जाएगा। (2) नियुक्ति अभिव्यक्त या आवश्यक निहितार्थ द्वारा की जा सकती है।”

08. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 और धारा 278 का सहारा लेते हुए तथ्यों का आगे विश्लेषण किया जा सकता है। ये दोनों प्रावधान इस प्रकार हैं:

“276. प्रोबेट के लिए याचिका-(1) प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन, वसीयत के साथ, अंग्रेजी में या उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी गई याचिका द्वारा किया जाएगा जिसमें वसीयत या धारा 237, 238 और 239 में वर्णित मामलों में, उसकी सामग्री की प्रतिलिपि, प्रारूप या विवरण संलग्न किया जाएगा, और यह बताते हुए कि-

(क) वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय,

(ख) कि संलग्न लेखन उसकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा है,

(ग) कि इसे विधिवत निष्पादित किया गया था,

(घ) संपत्ति की वह राशि जो याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, और

(ङ) जब आवेदन प्रोबेट के लिए है, कि याचिकाकर्ता वसीयत में नामित निष्पादक है।

(2) इन विवरणों के अतिरिक्त, याचिका में आगे यह भी बताया जाएगा कि-

(क) जब आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष हो, तो यह बताएं कि मृतक की मृत्यु के समय उसका एक निश्चित निवास स्थान था या उसके पास न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में स्थित कुछ संपत्ति थी; और

(ख) जब आवेदन जिला प्रतिनिधि के समक्ष हो, तो यह बताएं कि मृतक की मृत्यु के समय उसका एक निश्चित निवास स्थान था जो ऐसे प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में था।

(3) जहां आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष हो और याचिकाकर्ता के हाथ में आने वाली संपत्ति का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य में स्थित हो, तो याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी संपत्ति की मात्रा और जिला न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में ऐसी संपत्ति स्थित होने का उल्लेख किया जाएगा।

278. प्रशासन पत्रों के लिए याचिका.- (1) प्रशासन पत्रों के लिए आवेदन पूर्वोक्त रूप से स्पष्ट रूप से लिखित याचिका द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी-

(क) मृतक की मृत्यु का समय और स्थान;

(ख) मृतक के परिवार या अन्य रिश्तेदार और उनके संबंधित निवास स्थान;

(ग) वह अधिकार जिसके लिए याचिकाकर्ता दावा करता है;

(घ) संपत्ति की वह राशि जो याचिकाकर्ता के हाथ में आने की संभावना है;

(ङ) जब आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, तो यह कि मृतक की मृत्यु के समय उसका निवास स्थान निश्चित था या उसके पास न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में कुछ संपत्ति थी; और

(च) जब आवेदन जिला प्रतिनिधि के समक्ष किया जाता है, तो यह कि मृतक की मृत्यु के समय उसका निवास स्थान निश्चित था जो ऐसे प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में था।

(2) जहां आवेदन जिला न्यायाधीश को दिया जाता है और संपत्ति का कोई हिस्सा जो याचिकाकर्ता के हाथ में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है, याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी संपत्ति की मात्रा और जिला न्यायाधीशों के बारे में भी बताया जाएगा जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संपत्ति स्थित है।

09. इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि प्रोबेट केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को ही दिया जाएगा। इस प्रकार, प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में, **मुसम्मत फेकनी बनाम मुसम्मत मानकी** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को संदर्भित किया जा सकता है, जो **एआईआर 1930 पैट 618** में रिपोर्ट किया गया है। इसी प्रस्ताव पर, बिहारी लाल **महतों टेटक गयावाल बनाम गंगा दाई तटकैन एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे **एआईआर 1917 पटना 209** में प्रकाशित किया गया है।

10. इसके अलावा, *राकेश बिहारी शरण बनाम अलका शरण* के मामले में इस खंडपीठ के एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसकी प्रकाशित *2017 (3) पीएलजेआर 951* में दी गई थी, जिसमें न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निष्पादक की मृत्यु के बाद और वसीयत साबित होने से पहले किसी लाभार्थी या दावेदार को निष्पादक के स्थान पर प्रतिस्थापित होने की अनुमति दी जा सकती है? न्यायालय ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया और माना कि निष्पादक की मृत्यु के बाद वसीयतनामा मुकदमे में प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना के साथ एक आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है और निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

11. इस न्यायालय ने *संजय त्रिवेदी @ मुन्ना त्रिवेदी बनाम कांति देवी एवं अन्य* के मामले में, *2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 8327* में प्रकाशित किया कि किसी प्रोबेट मामले में मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादियों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

12. प्रमाणिक वसीयत प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, निष्पादक की मृत्यु के बाद और वसीयत साबित होने से पहले किसी भी लाभार्थी या दावेदार को निष्पादक के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, एक निष्पादक के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की प्रोबेट कार्यवाही में अनुमति नहीं है, हालांकि ऐसे उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए अधिनियम की धारा 276 के तहत एक याचिका बनाए रख सकते हैं।

13. इस तथ्य पर भी ध्यान देना उचित है कि प्रतिस्थापन की अनुमति देने से पहले, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं-आवेदकों/उत्तरवादियों को प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए राहत मांगने के लिए प्रोबेट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी। मेरा मानना है कि इस स्तर पर संशोधन की अनुमति कोर्ट के कहने पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए राहत मांगने के लिए संशोधन करने के लिए कोई याचिकाकर्ता नहीं बचता। उत्तरवादी प्रोबेट याचिका में संशोधन कर सकते थे और प्रशासन के पत्र जारी करने की राहत मांग सकते थे, अगर वे पहले से ही रिकॉर्ड में थे। लेकिन, उन्हें प्रशासन के पत्र जारी करने की राहत मांगने और तदनुसार प्रोबेट याचिका में संशोधन करने की अनुमति देना, घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा प्रतीत होता है और कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

14. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस विषय पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह विचार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 18.07.2022 को आदेश पारित किया है, जो *प्रथम दृष्ट्या* अवैध प्रतीत होता है तथा इसे कायम नहीं रखा जा सकता। अतः, सासाराम में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ, रोहतास द्वारा प्रोबेट केस संख्या 88/1999 (टाइटल सूट संख्या 02/2002) में पारित दिनांक 18.07.2022 के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा मूल प्रोबेट याचिकाकर्ता के स्थान पर उनके प्रतिस्थापन के लिए उत्तरवादियों द्वारा दिनांक 03.11.2020 को दायर आवेदन को खारिज किया जाता है। हालांकि, इस तरह के आवेदन को खारिज करने से उत्तरवादियों को अपनी शिकायत के निवारण के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 का सहारा लेने में कोई बाधा नहीं आएगी।

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।
16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।